भारतीय नदी परिषद्

NEER FOUNDATION

TAXAB PROUD TAXPAYERS

WaterAid

german cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz

उत्तर प्रदेश
नदी नीति
का प्रस्तावित प्रारूप-2024

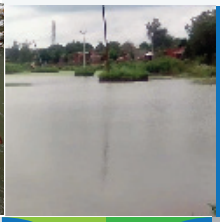

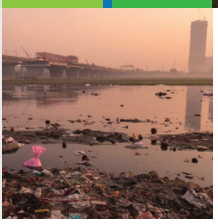

प्रस्तुतकर्ता

भारतीय नदी परिषद् व नीर फाउंडेशन

ज्ञान भागीदार
आई.आई.टी. बनारस हिन्दु विश्वविधालय, वाराणसी

प्रमुख सहयोगी
वाटर एड, जी आई जेड़

नदी समग्र चिन्तन

नदी समग्र चिन्तन
WaterAid

उत्तर प्रदेश और नदियां

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चैथा सबसे बडा राज्य है। यह देश के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश, पूर्व में बिहार राज्य, दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य से लगती है। और पश्चिम में हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 26 जनवरी, 1950 को, जब भारत एक गणतंत्र बना, राज्य को इसका वर्तमान नाम, उत्तर प्रदेश दिया गया। इसकी राजधानी लखनऊ है, जो राज्य के पश्चिम-मध्य भाग में है। क्षेत्रफल 93,933 वर्ग मील (243,286 वर्ग किमी)।

राज्य को दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है - गंगा (गंगा) नदी और उसकी सहायक नदियों (इंडो-गंगा के मैदान का हिस्सा) और दक्षिणी ऊपरी इलाकों के केंद्रीय मैदान। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में स्थित है, जो विशाल गंगा नेटवर्क द्वारा हिमालय से उत्तर की ओर लाए गए जलोढ निक्षेपों से बना है। उस क्षेत्र का अधिकांश भाग एक सुविधाहीन, हालांकि उपजाऊ, उत्तर-पश्चिम में लगभग 1,000 फीट (300 मीटर) से लेकर चरम पूर्व में लगभग 190 फीट (60 मीटर) तक की ऊंचाई में भिन्न है। दक्षिणी उच्चभूमि अत्यधिक विच्छेदित और ऊबड-खाबड विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, जो आमतौर पर दक्षिण-पूर्व की ओर बढती है। उस क्षेत्र की ऊंचाई शायद ही कभी 1,000 फीट से अधिक हो। उत्तर में हिमालय या दक्षिण में विंध्य रेंज से निकलने वाली कई नदियों से राज्य अच्छी तरह से जल निकासी करता है। गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियाँ- यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक नदियाँ- हिमालय की सतत हिमपात से पोषित होती हैं। विंध्य रेंज से निकलने वाली चंबल, बेतवा और केन नदियां यमुना में मिलने से पहले राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से से निकलती हैं। सोन, विंध्य रेंज में भी उत्पन्न होता है, जो राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग से निकलता है और राज्य की सीमाओं से परे (बिहार में) गंगा में मिल जाता है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गंगा प्रणाली की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा फैली जलोढ की गहरी परत से आच्छादित है। वे अत्यधिक उपजाऊ जलोढ मिट्टी रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक होती हैं। राज्य के दक्षिणी भाग में मिट्टी आम तौर पर मिश्रित लाल और काली या लाल से पीली होती है। राज्य में वार्षिक वर्षा पूर्व में 40-80 इंच (1,000-2,000 मिमी) से लेकर पश्चिम में 24-40 इंच (600-1,000 मिमी) तक होती है। लगभग 90 प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो लगभग जून से सितंबर तक चलती है। उस चार महीने की अवधि के दौरान अधिकांश वर्षा केंद्रित होने के कारण, बाढ एक आवर्ती समस्या है और विशेष रूप से राज्य के पूर्वी भाग में फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। मानसून की आवधिक विफलता के परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।

नदियां और हम

हमारी सभ्यताएं नदियों के आसपास विकसित हुईं और वे हमारे जीवन और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए केंद्रित हैं। हालांकि ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में हैं। मीठे पानी की प्रजातियों में 1970 के बाद से 83: की गिरावट देखी गई है जोकि स्थल पर रहने वाले या समुद्र में रहने वाले जीवों से दोगुनी है। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आइये नदी के जलीय जीवों के लिए बोलें, उनका बचाव करें, उनकी रक्षा करें और उनके भविष्य

को सुरक्षित बनाएं। ऐसा करके हम एक आर्दश नदी संरक्षक बन सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की अधिकतर नदियां अब नाला बन गई हैं। बाढ़-सुखाड़ ने इन्हें मार दिया है। शहरीकरण ने इनकी आस्था एवं पर्यावरण रक्षा वाला व्यवहार और संस्कार समाप्त कर दिया है। जमीन के बढ़ते दामों के कारण भूमाफिया नदी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उद्योगों ने नदी जल को प्रदूषित कर दिया है। भूजल शोषण के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। अनियमित खनन से नदियों में कटाव तेज हो गया है। फलतः नदी का पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक प्रवाह अब नष्ट हो गया है। समुचित सरकारी नीति के अभाव में नदियों का मूल स्वरूप बिगड़ गया है और जनजीवन नरकीय बनाया है। सामुदायिक दायित्व एवं राजकीय नियमों का एहसास और आभास नहीं रहा है। इसलिए नदियां अतिक्रमण, प्रदूषण, शोषण और सांस्कृतिक ह्रास का शिकार बन गई हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझकर नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति बना रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की नदी नीति का प्रस्तावित प्रारूप है। इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की नदी नीति में शामिल किया जाएगा।

नदियां

अंग्रेजों ने सवा सौ साल पहले बनारस जैसी हमारी सांस्कृतिक राजधानी में गंदे नालों को गंगा नदी में डालना आरम्भ किया था। अब हमने अपने देश की सभी नदियों को मैला करना शुरू कर दिया है। गंदे जल (विष) को नदी के पवित्र (अमृत) जल में मिला रहे हैं। गुलामी में हुई शुरूआत को हम सभी आज भी भोगने को अभिशप्त हैं। भारत में प्राचीन काल में ही अमृत-विष को अलग करने हेतु कुंभ होते थे। आज तो कुंभ भी विष को ही अमृत में मिलाते हैं। अतः इसे अलग-अलग रखने वाली नीति बनाकर ही हम विवाद रोक सकते हैं। विवादों का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले गंदे नालों को नदियों से अलग रखें। इस गंदे जल को उपयुक्त जगह पर उपचार करके उसको खेती-बागवानी और उद्योगों में उपयोग करने वाले कानून बनाये जायें। गंदे जल को धरती के अन्दर नहीं डाला जाये। जो गुण मिट्टी और जल में अलग है, उसे अलग-अलग ही रखना है। नदियों को नदी बनाकर रखने की यही विधि है। जो नदियां नाला बन गई हैं, उन्हें भी पुनः नदी बनाने का यही तरीका है। खर्च कम करने, बीमारी रोकने तथा नीर-नारी और नदी को सम्मान देने का भी यही रास्ता है। आजादी के पहले से आज तक नदी विवाद नहीं सुलझे हैं। बढ़ते बाढ़-सुखाड़ ने इन विवादों को ओर ज्यादा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि राज्यों और राष्ट्रों के बीच पानी लेकर युद्ध के खतरे मंडराने लगे हैं। इसलिए आज युद्ध से बचने हेतु हमें प्रकृति संरक्षण एवं नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति की अत्यन्त आवश्यकता है। नदी हमारी धरती की नाड़ी है। इनके साथ कहीं भी कुछ भी बुरा काम होता है, तो इसका असर पूरी भूसांस्कृतिकता व प्रकृति को बिगाड़ता है। आज नदियों पर अतिक्रमण से बाढ़ और सुखाड़ बढ़ा है। प्रदूषण से बीमारी आई है। भूजल शोषण से पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। नदी पर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण रोकने वाली नीति बननी है। किसी भी शहर-गांव में अब नदी मूल स्वरूप में नहीं बची है। कहीं का भी गंदा और दूषित जल नदी को नाले में बदल देता है। नदी की भूमि में बनने वाले मकान, होटल, रिसोर्ट तथा सीमेंट-कंकरीट से निर्मित नालियों, नालों एवं नदी किनारों का बदलना भी नदियों को नाला ही बना रहा है। इससे नदी की आजादी नष्ट हुई है। नदियों के किनारे बसे शहरों की गंदगी से नदियों का मूल व पवित्र स्वरूप नष्ट हुआ है। नदियों की संस्कृति और सभ्यता वाला देश अब प्रदूषित नालों की सभ्यता वाला बनता जा रहा है। हम दुनियां की सबसे वैभवशाली संस्कृति वाले माने जाते हैं। पर अब गंगा-जमुनी संस्कृति वाले सभ्य समाज को आधुनिक शैतानी सभ्यता ने नरकीय बना दिया है। हम इसे दुनियां की सबसे बुरी दुर्घटना मानते हैं। मां कहलाने वाली हमारी नदी अब मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। नदी का मैला जल, बीमारियों का वाहक भी बन रहा है। कारखाने व होटल, कानून को ताक पर रखकर

गंदा, जहरीला जल धरती माता के पेट में बोर करके डाल रहे हैं। इस कारण हमारा चिकित्सा खर्च बहुत ही बढ़ गया है। धरती की गर्मी बढ़ गई है। मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। जलवायु परिवर्तन ने हमारी खेती बिगाडी है, फसलों का उत्पादन कम किया है। नीर-नारी और नदी का सम्मान नष्ट हो गया है। यह परिदृश्य हमारे लिए भयानक भविष्य की तरफ इशारा करता है। यह अनर्थकारी परिदृश्य आज की नई सभ्यता में जन्मा है। भारतीय संस्कृति तो नदियों को पोषणकारी मां मानकर व्यवहार करती थी। आज की शोषणकारी सभ्यता ने नदियों को उत्पादन बढ़ाने वाले उद्योगों के लिए मालगाड़ी मान लिया है। यही जल और नदियों को बाजार बनाने की साजिश दिखती है। इसे रोकना इक्कसवीं सदी के दूसरे दशक का सबसे जरूरी और पहला काम हमने माना है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां गंगा जैसी बड़ी नदी भी बहती है तो पांवधोई जैसी छोटी नदी भी। उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल फैला हुआ है। यहां चार प्रकार की नदियां मौजूद हैं।

ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में है और वे उत्तर प्रदेश से होते हुए किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर जाती हैं।

ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल किसी अन्य राज्य में है और वे उत्तर प्रदेश में आकर किसी अन्य नदी में समाहित हो जाती हैं।

ऐसी नदियां जोकि उप्र के ही किसी जनपद से प्रारम्भ होती हैं और आगे दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाती हैं।

ऐसी नदियां जोकि उप्र के ही किसी जनपद से प्रारम्भ होती हैं और वे उत्तर प्रदेश में ही किसी अन्य नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं।

उपरोक्त चारों प्रकार की नदियों की अपनी अलग-अलग समस्याएं भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो वर्तमान में किसी भी नदी की तीन प्रमुख समस्याएं सभी के सामने हैं।

पानी की कमी। अतिक्रमण। प्रदूषण।

नदियों की इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही हमें समाधान खोजने होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक-दो या उससे अधिक ऐसे कार्यकर्ता या संगठन मौजूद हैं जोकि अपनी स्थानीय नदियों की चिन्ता करके समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इन कार्यों के बूते कहीं अच्छे परिणाम दिख रहे हैं तो कहीं कठिनाईयां अधिक होने के चलते कार्य परिणामों में नहीं बदल पा रहे हैं। नदी संबंधी सर्वसम्मत ज्ञान का अभाव भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। प्रदूषित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिक्रमित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चहिए, पानी की कमी से जूझ रही नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा तीनों समस्याओं ग्रसित नदी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इन सवालों के जवाब न होने के कारण कहीं तकनीकि रूप से गलत कार्य होने की सम्भावना रहती है तो कहीं कार्य से किसी नियम विशेष का उल्लंघन जाने-अनजाने हो जाता है।

जहां समाज तो अपनी नदियों की चिन्ता कर ही रहा हो वहीं सरकार भी अपनी नदियों के प्रति संवेदनशील बनें, तो हमारे पास अपनी नदियों के पुनर्जीवन व रखरखाव हेतु एक सर्वमान्य व उचित समाधान होना ही चाहिए। नदियों के हित में एक सर्वमान्य योजना का होना हमारे प्रदेश के लिए एक सटीक कदम होगा। नदियों संबंधी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की पहल पर एक निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश की एक सामूहिक नदी रखरखाव व पुनर्जीवन की नीति बने, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नदी पुनर्जीवन का कार्य स्थाई रूप से आगे बढ़े। इस विचार को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, भारतीय नदी परिषद् व नीर फाउंडेशन द्वारा 31 अगस्त, 2022 को लखनऊ

में एक दिवसीय 'नदी समग्र चिन्तन' का आयोजन किया गया। इसमें वाटर एड, जी0आई0जेड़0 व लोकभारती का विशेष सहयोग रहा। इसमें आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 वाराणसी की ज्ञान सहयोगी के रूप में भूमिका रही। इसमें देशभर के नीति निर्माता, विषय विशेषज्ञ, नदी कार्यकर्ता, तकनीकि संस्थानों के प्रतिनिधि व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस चिन्तन बैठक में हम नदियों के सन्दर्भ में जहां राज्य नदी नीति बनाने की ओर कदम बढ़ाया गया वहीं नदी पुनर्जीवन प्रारूप भी विकसित करने पर चर्चा हुई। इस पूरे दिन के मन्थन को 6 अलग-अलग सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सत्र को अलग-अलग विषय नदियां और प्रदूषण, नदियां और कृषि, नदी और जीवीकोपार्जन, नदियां और जैव-विविधता, नदियां और कानून व नदियां और समाज दिए गए थे। प्रत्येक विषय के कुछ बिन्दु भी तय किए गए थे। प्रत्येक सत्र कों एक समन्वयक व दो सह-समन्वयकों द्वारा संचालित किया गया। एक दिवसीय चिन्तन से निकले सार को लखनउ घोषणपत्र के रूप में जारी किया गया तथा नदी नीति प्रारूप के आगे के कार्य हेतु एक समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा विगत एक वर्ष में गहन चिन्तन-मनन के बाद उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित नदी नीति का एक सर्वमान्य प्रारूप तैयार किया गया है। आशा है कि यह प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नदी नीति के रूप में सामने आएगा और राज्य की नदियों के एक वरदान साबित होगा। आशा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जोकि अपनी नदी नीति बनाने में सफल होगा।

रमन कान्त
रिवरमैन ऑफ इण्डिया
संस्थापक - भारतीय नदी परिषद्

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित नदी नीति का प्रारूप

उत्तर प्रदेश की अधिकतर नदियां अब नाला बन गई हैं। बाढ़-सुखाड़ ने इन्हें मार दिया है। शहरीकरण ने इनकी आस्था एवं पर्यावरण रक्षा वाला व्यवहार और संस्कार समाप्त कर दिया है। जमीन के बढ़ते दामों के कारण भूमाफिया नदी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उद्योगों ने नदी जल को प्रदूषित कर दिया है। भूजल शोषण के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है। अनियमित खनन से नदियों में कटाव तेज हो गया है। फलतः नदी का पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक प्रवाह अब नष्ट हो गया है।

समुचित सरकारी नीति के अभाव में नदियों का मूल स्वरूप बिगड़ गया है और जनजीवन नरकीय बनाया है। सामुदायिक दायित्व एवं राजकीय नियमों का एहसास और आभास नहीं रहा है। इसलिए नदियां अतिक्रमण, प्रदूषण, शोषण और सांस्कृतिक ह्रास का शिकार बन गई हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझकर नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति बना रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की नदी नीति का प्रस्तावित प्रारूप है। इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की नदी नीति में शामिल किया जाएगा।

नदी नीति का दृष्टिकोणः-

अंग्रेजों ने सवा सौ साल पहले बनारस जैसी हमारी सांस्कृतिक राजधानी में गंदे नालों को गंगा नदी में डालना आरम्भ किया था। अब हमने अपने देश की सभी नदियों को मैला करना शुरू कर दिया है। गंदे जल (विष) को नदी के पवित्र (अमृत) जल में मिला रहे हैं। गुलामी में हुई शुरूआत को हम सभी आज भी भोगने को अभिशप्त हैं।

भारत में प्राचीन काल में ही अमृत-विष को अलग करने हेतु कुंभ होते थे। आज तो कुंभ भी विष को ही अमृत में मिलाते हैं। अतः इसे अलग-अलग रखने वाली नीति बनाकर ही हम विवाद रोक सकते हैं। विवादों का समाधान कर सकते हैं। सबसे पहले गंदे नालों को नदियों से अलग रखें। इस गंदे जल को उपयुक्त जगह पर उपचार करके उसको खेती-बागवानी और उद्योगों में उपयोग करने वाले कानून बनाये जायें।

गंदे जल को धरती के अन्दर नहीं डाला जाये। जो गुण मिट्टी और जल में अलग है, उसे अलग-अलग ही रखना है। नदियों को नदी बनाकर रखने की यही विधि है। जो नदियां नाला बन गई हैं, उन्हें भी पुनः नदी बनाने का यही तरीका है। खर्च कम करने, बीमारी रोकने तथा नीर-नारी और नदी को सम्मान देने का भी यही रास्ता है।

आजादी के पहले से आज तक नदी विवाद नहीं सुलझे हैं। बढ़ते बाढ़-सुखाड़ ने इन विवादों को ओर ज्यादा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि राज्यों और राष्ट्रों के बीच पानी लेकर युद्ध के खतरे मंडराने लगे हैं। इसलिए आज युद्ध से बचने हेतु हमें प्रकृति संरक्षण एवं नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति की अत्यन्त आवश्यकता है।

नदी हमारी धरती की नाड़ी है। इनके साथ कहीं भी कुछ भी बुरा काम होता है, तो इसका असर पूरी भूसांस्कृतिकता व प्रकृति को बिगाड़ता है। आज नदियों पर अतिक्रमण से बाढ़ और सुखाड़ बढ़ा है। प्रदूषण से बीमारी आई है। भूजल शोषण से पेयजल का संकट खड़ा हो गया है।

नदी पर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण रोकने वाली नीति बननी है। किसी भी शहर-गांव में अब नदी मूल स्वरूप में नहीं बची है। कहीं का भी गंदा और दूषित जल नदी को नाले में बदल देता है। नदी की भूमि में बनने वाले मकान, होटल, रिसोर्ट तथा सीमेंट-कंकरीट से निर्मित नालियों, नालों एवं नदी किनारों का बदलना भी नदियों को नाला ही बना रहा है।

इससे नदी की आजादी नष्ट हुई है। नदियों के किनारे बसे शहरों की गंदगी से नदियों का मूल व पवित्र स्वरूप नष्ट हुआ है।

नदियों की संस्कृति और सभ्यता वाला देश अब प्रदूषित नालों की सभ्यता वाला बनता जा रहा

है। हम दुनियां की सबसे वैभवशाली संस्कृति वाले माने जाते हैं। पर अब गंगा-जमुनी संस्कृति वाले सभ्य समाज को आधुनिक शैतानी सभ्यता ने नरकीय बना दिया है। हम इसे दुनियां की सबसे बुरी दुर्घटना मानते हैं।

मां कहलाने वाली हमारी नदी अब मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। नदी का मैला जल, बीमारियों का वाहक भी बन रहा है। कारखाने व होटल, कानून को ताक पर रखकर गंदा, जहरीला जल धरती माता के पेट में बोर करके डाल रहे हैं। इस कारण हमारा चिकित्सा खर्च बहुत ही बढ़ गया है। धरती की गर्मी बढ़ गई है। मौसम का मिजाज बिगड़ गया है।

जलवायु परिवर्तन ने हमारी खेती बिगाडी है, फसलों का उत्पादन कम किया है। नीर-नारी और नदी का सम्मान नष्ट हो गया है। यह परिदृश्य हमारे लिए भयानक भविष्य की तरफ इशारा करता है। यह अनर्थकारी परिदृश्य आज की नई सभ्यता में जन्मा है।

भारतीय संस्कृति तो नदियों को पोषणकारी मां मानकर व्यवहार करती थी। आज की शोषणकारी सभ्यता ने नदियों को उत्पादन बढ़ाने वाले उद्योगों के लिए मालगाड़ी मान लिया है। यही जल और नदियों को बाजार बनाने की साजिश दिखती है। इसे रोकना इक्कसवीं सदी के दूसरे दशक का सबसे जरूरी और पहला काम हमने माना है। इसीलिए आगे नदी नीति लिखी है।

नदी नीतिः-

नदी परिभाषाः- हिम, भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उदगम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई जो अविरलता-निर्मलता और स्वतंत्रता में बहती है और सदियों से सूरज, वायु और धरती से आजादी से स्पर्श करती हुई जीव-सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है वह नदी है।

लक्ष्यः- उत्तर प्रदेश की नदियों का चरित्र बिगड़ गया है, उसे अपने मूल स्वरूप में लाकर नदी को अपनी परिभाषा के अनुरूप बनाना।

उद्देश्यः- 1. नदियां राज, समाज और सृष्टि की साझी हैं। साझे हित में समाजोपयोगी इनकी सुरक्षा, संरक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आस्था की योजना बनाने वाली मार्गदर्शिका ही इस नदी नीति निर्माण का उद्देश्य है।

राज को नदियों के संरक्षण हेतु नीति व नियम बनाने का अधिकार है। लेकिन समाज का भी नदियों के प्रति दायित्व और अधिकार उतना ही है जितना राज का है। यह राज, समाज और संतों की साझी नदी है।

2. नदियों को 'जल बाजार' से बचाने हेतु नदी को बड़े बांध, अतिक्रमण, शोषण और प्रदूषण मुक्त रखना आवश्यक है। 'जल बाजार' वाली ताकतें पहले हमारी नदियों को मैला करती हैं, और फिर मैला मुक्त बनाने के लिए पैसा लगाकर अतिक्रमण करती हैं। जल दूषित होने पर बोतल जल खरीदने हेतु मजबूर बनाती हैं। हमारा ही जल हमें बिक्री करके हमारे जल और धन की लूट करती है। जल, धन, स्वास्थ्य सबकी ही लूट रोकने हेतु नदी नीति बननी चाहिए।

3. नदी विवाद का नीति के बिना समाधान नहीं है। विवाद समाधान हेतु नदी नीति का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है।

4. स्वार्थी शक्तियां नदी नीति के विरूद्ध तनकर खड़ी है। उन्हें हटाकर पर्यावरण रक्षा एवं आस्था को कायम रखना है, आर्थिकी, स्वास्थ्य, पर्यावरण रक्षण एवं भारतीय आस्था हेतु नदी नीति निर्माण अब अतिआवश्यक है। राज, समाज एवं संतों की अब पहली प्राथमिकता है नदी पुनर्जीवित करने वाली नदी नीति बनाना। नदियों, उपनदियों, प्राकृतिक नालों का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, जिला पंचायतों के स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन नदियां को पुनर्जीवित करने का काम प्राथमिक तौर पर करना चाहिए।

5. पृथ्वी की गर्मी व मौसम के मिजाज के साथ मिट्टी की नमी का नदी के जल प्रवाह से गहरा रिश्ता है। जब यह बिगड़ता है, तब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव गहरा होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने हेतु नदी नीति निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

''विकास दर को (जी.डी.पी.) ऊंचा दिखाने के मोह में हम नदियों के प्रदूषण, शोषण और अतिक्रमण की कीमत को ''जी.डी.पी.'' में शामिल नहीं करते इसलिये अब ''जी.डी.पी.'' में नदियों को हुई हानि को ''जी.डी.पी.'' में सम्मिलित करना चाहिए।''

नदियां गरीब, अमीर व सभी धर्मों के समाज की साझी संपदा, जीवन, जमीर सभी कुछ है। उसका जीवन हक 'जल' उसके जीवन हेतु उपयोगी बनाकर रखने हेतु भी नदी नीति अत्यन्त आवश्यक है।

नदी नीति के सिद्धान्तः-

1. नदियों की भूमि का सीमांकन 100 साला बाढ़ क्षेत्र के अनुसार गजटेड डिमार्केशन, नोटीफिकेशन किया जावें। नदी प्रवाह क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र का उपयोग नहीं बदला जायें। उदगम से लेकर समुद्र तक नदी संरक्षण क्षेत्र घोषित करें। सीमांकन के सीमा चिन्ह का पूरे समुदाय को पता हो।

3. नदियों में किसी भी आबादी एवं उद्योग का प्रदूषित जल नहीं डाले। रिवर-सीवर को अलग रखने वाला सिद्धान्त अपनाया जाये।

4. नदी जल दूषित करने वालों को जन (गांव-समुदाय) सूचना के आधार पर फौजदारी अपराध और अर्थदण्ड का प्रावधान किया जाये।

5. नदियों की अविरलता-निर्मलता बनाए रखने के बड़े सभी उपायों, बेसिन क्षेत्र के संरक्षण एवं नदी पुनर्जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाये।

6. नदियों में 'पर्यावरणीय प्रवाह' सुनिश्चित हेतु राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए।

उत्तर प्रदेश की नदी नीति

नदी पुनर्जीवन एवं नदी का प्राकृतिक प्रवाह (पर्यावरणीय प्रवाह)

नदी जल का उपयोग पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करके ही किसी दूसरे कार्यों में किया जायेगा। हमें विश्वास है, कि समाज की आवश्यकता को पूरा करने के रास्ते में यह सिद्धान्त आड़े नहीं आएगा।

नदी नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता नदी की अविरलता-निर्मलता कायम रखना है।

नदी जल की उपयोगिता-प्राथमिकता

नदी जीवित रखने हेतु नदी जल निम्नवत उपयोग होवें।

- पर्यावरणीय प्रवाह।
- पेयजल।
- जीविको उपयोगी कृषि के लिए।
- मेला-उत्सव-कुंभ।
- घरेलू उपयोग, ग्राम पंचायत, नगर पालिका।
- सांस्कृतिक पर्यटन।
- ऊर्जा, उद्योग।

1.2 पर्यावरणीय प्रवाह की प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नदी जल व भूजल साझा सामाजिक संसाधन है। इसका नियोजन स्थानीय समुदाय के हाथ में कानून हो। सामुदायिक नदी प्रबंधन पहले था। अब भी पुनः वहीं तंत्र खड़ा किया जाये।

सभी कौटुंबिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अध्यात्मिक संस्थाओं के भीतर नदी

संरक्षण, नदी पुनर्जीवन के मूल्यों को नागरिकों के जीवन में प्रस्थापित करने हेतु शासन की ओर से छात्रों और नागरिकों को नदी, उपनदी अथवा स्थानीय प्राकृतिक नालों पर हर हफ्ते 'स्वैच्छिक श्रम' सामाजिक जागरूकता अभियान के रूप में जोड़ना आवश्यक है।

नदी उत्सवों, कुंभ, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक मेलों को भी तपो की शुद्धता का संस्कार देने वाला अवसर बनाने की नदी संस्कृति पुनर्जीवित करने वाले प्रयास धर्म सत्ता एवं लोक सत्ता व राज्य सरकारों को करने चाहिए।

1.3 नदी जल पर्यावरणीय प्रवाह में वृद्धिः

1.3.1 नदी का संभावित एवं उपलब्ध जल संसाधन, स्थाई एवं अस्थाई जल स्रोत, सतही जल, भू-जल आदि की एक वृहद सूची तैयार की जाये। इन संसाधनों के मॉडल तैयार करने की क्षमता का विकास किया जाये।

1.3.2 जन सहभागिता से स्थानीय, सब-बेसिन, बेसिन तथा भूमिगत जलधर से संबंधित जल संसाधन एवं पर्यावरण विकास की योजनाएं बनाई जायें। भारत सरकार इस नीति द्वारा यह सुनिश्चित करायें कि भूसांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जायेगा।

1.3.3 प्रस्तावित नई परियोजनाओं का मूल्यांकन समाज पर उनका प्रभाव, मूल्यांकन उनकी पर्याप्तता, पर्यावरण, जल संसाधनों का संरक्षण और निरन्तर घटते भूजल के आधार पर प्राथमिकता दी जाये।

1.3.4 पुराने तालाब-बावड़ी-कुओं का जीर्णोदार करायें। इनके कब्जें हटवायें। इन्हें कारगर बनाकर रखें।

1.3.5 स्थानीय सतही जल के संग्रहण के समुचित उपाय प्राथमिकता पर किये जायेंगे।

1.3.6 पारम्परिक जल संग्रहण संरचनाओं का संरक्षण, नई स्थानीय सरंचनाएं एवं नई तकनीक वाली स्थानीय लघु जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाये। छत के वर्षा जल के संग्रहण, अन्य वर्षा जल का संग्रहण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं चक्रण (रिसाइकिल) को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाये।

1.3.7 खेती हेतु जल के दक्षतम उपयोग को दर्शायें एवं प्रोत्साहित किया जाये।

1.3.8 सभी बेसिन में उपचारित जल के पुनः उपयोग के तकनीकी एंव आर्थिक संभावनाओं का आंकलन किया जाये।

1.3.9 नदियों में गंदे नाले नहीं मिलायें। वर्षा जल व मल जल अलग-अलग रखा जाये। नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। मल जल उपचार करके खेती-बागवानी में काम लिया जाये।

1.3.10 कृषि हेतु भू-जल शोषण का इस प्रकार प्रबंधन किया जाये कि वह औसत दीर्घकालीन पुनर्भरण से ज्यादा न हो। भू-जल पुनर्भरण क्षमता का भी मूल्याकंन किया जाये। जिसमें जल-संकट वाले एवं अत्याधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाये।

- लवणीय भू-जल को काम में लेने योग्य बनाने हेतु उपलब्ध तकनीकों की विभिन्न परिस्थितियों में लागत-प्रभावकारिता का आंकलन किया जाये। इन तकनीकों को प्रायोगिक परियोजनाओं की मद से क्षेत्रीय परिस्थितियों में जॉचने हेतु उन इलाकों में लागू किया जाये, जहां पीने के पानी की या तो कमी है या जहां कोई अन्य जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।
- भू-जल के बेहतर उपयोग हेतु फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित एवं और अधिक सुसाध्य बनाया जाये।
- भारत भर में जल के अनुशासित उपयोग के संस्कार-दस्तूर-कानून-कायदे थे। उनमें समानता मूलक संशोधन के बाद उनका सम्मान किया जाये। जल पर सामुदायिक हक

कायम करने वाली भारत की राष्ट्रीय जल नीति बने।

1.4 परियोजनाओं की संरचना एवं क्रियान्वयनः-

1.4.1 आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण एवं वित्तीय आधारों पर नदी प्रवाह बढ़ाने की परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की जाये।

1.4.2 यथा सम्भव परियोजना में सतही एवं भू-जल का एकीकृत उपयोग किया जाये।

1.4.3 जल क्षेत्र से संबंधित विभागों की तकनीकी सहायता से हितभागियों द्वारा भविष्य में जल मांग के मात्रात्मक अनुमान तैयार किए जाये।

- आयोजना, निर्माण और परियोजना संचालन काल में जल परियोजनाओं के प्रभावों (सामाजिक एवं पर्यावरण पर प्रभावों सहित) का परियोजना से जुड़े प्राधिकारों द्वारा समीक्षा की जाये।
- परियोजना की शुरूआत वृहद जांच और विस्तृत परिकल्पना पर निर्भर करें, जिसमें सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी आयाम अहम होंगे।

2.0 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन

2.1 जल उपभोक्ताओं का संगठन एवं भागीदारी

2.1.1 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को पूरे राष्ट्र में सामुदायिक समग्र जल प्रबंधन में लागू किया जाये।

2.1.2 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल उपभोक्ता समूहों को जल विषयों में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जाये।

2.1.3 बड़े एवं लघु जल उपयोगकर्ताओं (महिलाओं सहित) द्वारा इन जल उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से उचित प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाये।

2.1.4 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रभावित किये बगैर राज्य सरकार एवं जल उपभोक्ता संगठनों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने हेतु सहयोग स्थापित किया जाये।

2.1.5 जल संरक्षण हेतु सम्पूर्ण सामुदायिक चेतना जगाने के लिए संगठनों को उत्तरदायित्व सौंपा जाये, और उनके माध्यम से अभियान चलाए जाये, जिसका प्रमुख लक्ष्य यह होगा कि भूजल का उपयोग वार्षिक पुर्नउपयोग सीमा के अन्दर होगा।

2.1.6 मेरी नदी-मेरी पहल के अनुभवों के आधार पर अन्य नदी जल के बेहतर उपयोग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी दी जायेगी। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे -

- नदी जल विषयों पर सामुदायिक शिक्षा। कम जल में खेती करें। नदी जीवन कायम रखें। नदी का पर्यावरणीय प्रवाह कायम रखने के बाद ही आगे विचार किया जाये।
- ज्यादा बेहतर एवं समान आधार पर जल वितरण
- सामान्य जल संसाधन प्रबंधन
- आधारभूत ढांचे का संचालन एवं रख-रखाव
- जल उपभोग के पूर्ण शुल्क की वसूली के चरणबद्ध प्रयास
- आंकडे संग्रहण में सहयोग
- हाइड्रोलॉजिक आंकड़ों का उचित प्रयोग
- जल गुणवत्ता एवं जनस्वास्थ्य की समुचित रक्षा

2.1.7 जल क्षेत्र के विभागों द्वारा जल संबंधित तकनीकी आंकड़े, निर्देशिका, सूचना आदि जल संसदों को प्रदान की जाये। कुशल डेटा वितरण, डेटा संग्रहण की निरन्तरता और आंकड़ों की गुणवत्ता पर नियंत्रण निरंतर रखा जाये। जल आंकड़े आसान और पारदर्शी समाजिक उपयोग के अनुकूल बने।

2.2 नदी जल संसद के लिए संसाधन

2.2.1 प्रभावी जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन, जल गुणवत्ता संरक्षण आदि के लिए नदी जल संसदों एवं प्रशिक्षण हेतु तकनीकी, लाजिस्टिक एवं सामग्री रूपी सहायता प्रदान की जायेगी।

2.2.2 जल परियोजनाओं के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के कार्यों में उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां किसान, नदी जल संसदों से जुड़ने की इच्छा रखते हों।

2.2.3 छोटे सामुदायिक स्तर पर नदी जल संसदों में जल संसाधनों के प्रबंधन, संचालन, रख-रखाव एवं जल संरचना की शुल्क वसूली हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम को लागू किया जाये।

2.2.4 जल संरचनाओं के प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु जल उपभोक्ता समूहों को दिशा-निर्देश एवं आवश्यक सहायता प्रदान की जाये। भूमिहीन भी जल मालिक है। यह विश्वास पैदा करने वाले सामुदायिक जल संसाधन समुदायों को मान्यता दी जाये।

2.3 सामुदायिक स्तर पर तकनीकी प्रोत्साहन एवं सहायताः

2.3.1 जल संसाधन आयोजना विभाग जल संबंधित जानकारियों के प्रमुख स्त्रोत के रूप में कार्य करे एवं जल संसदों को क्रियाशील बनाने में योगदान दें।

2.3.2 जन जागरूकता हेतु एक अभियान चलाया जाये, जिसमें समुदायों को उनके विधिक सामर्थ्य, अधिकार, उत्तरदायित्वों एवं जल संसाधन प्रबंधन के सामान्य संसाधनों की जानकारी दी जाये।

2.3.3 सामुदायिक जल प्रबंधन के लिए बहु-विषयक तकनीकी सहायता को उच्च प्राथमिकता दी जाये। इसके साथ आवश्यक योजना जैसे जल संसाधन मॉडलिंग एवं नदी बेसिन/सब-बेसिन/जलघर प्रबंधन की निर्देशिका उपलब्ध करवाई जाये।

सिंचाई जल

3.1 सिंचाई पद्धति

3.1.1 सतही जलापूर्ति का प्रथम उद्देश्य उपलब्ध जल से ज्यादा से ज्यादा जमीन की सिंचाई करना होगा, भू-जल स्तर को दीर्घ कालीन नुकसान पहुंचाए बिना, भू-जल से सिंचाई के लिए मूल उद्देश्य उपलब्ध जल से ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई, करना होगा। वर्तमान में भूजल शोषण को व्यैक्तिक अधिकार समझे जाने वाले अनियंत्रित तरीके को हतोत्साहित किया जाये। इसके स्थान पर भूजल सामुदायिक दायित्व से दीर्घकालीन सामूहिक जल संसाधन बनाये रखा जायेगा। जिससे की भूमिगत जलघर अधिक समय तक सामुदायिक संसाधन बने रहें।

3.1.2 न्यायसंगत और प्रभावी सिंचाई व्यवस्था को निम्न की मदद से लागू किया जाये।

- रसायनमुक्त कृषि को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये।
- एस.आर.आई., एस.सी.आई. जैसी तकनीकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाये।
- फसल चयन स्थानीय जल स्थिति को ध्यान में रखकर सामुदायिक प्रक्रिया से किया जाये।
- जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के उपायों का प्रोत्साहन दिया जाये।
- सिंचाई व्यवस्था में जल का न्यायसंगत एवं सामाजिक न्याय के आधार पर बंटवारा किया जाये।
- नहर के शीर्ष एवं अंतिम छोर तक के बड़े और छोटे खेतों में जल उपलब्धता में विसंगतियों को बेहतर जल वितरण तंत्र की मदद से कम किया जाये।
- समय आधारित सिंचाई जल वितरण व्यवस्था के स्थान पर आयतनमितीय आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरण व्यवस्था लागू की जाये।

- किसानों को जल के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शिक्षित किया जाये एवं प्रशिक्षण दिया जाये। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के प्रयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाये।

जल संसाधन आधारभूत ढांचा

4.1 आंकड़ों का संकलन एवं प्रसार

4.1.1 जल विज्ञानी उपकरण एवं आंकड़ा संकलन की विश्वसनीयता, पर्यवेक्षक संसाधन (जैसे भुगतान, टेर्जनिंग एवं गतिशीलता आदि), उपयोगिता एवं रख-रखाव, आंकड़े संग्रहण की निरन्तरता, अभिलेखों का रख-रखाव एवं अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर राज्य में जल सर्वेक्षण संबंधित माध्यम एवं आंकडों के संग्रहण की समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के आधार पर जरूरी उन्नयन या बदलावों के लिए सुझाव तैयार किये जायें।

4.1.2 भू-जल की स्थिति के अध्ययन हेतु बोरहोल्स एवं भूजल स्तर मापक यंत्रों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार सुधार किया जाये। मॉनीटरिंग की समीक्षा की जाये, जिससे अध्ययन के तंत्र एवं नक्शों में सुधार होगा।

4.1.3 जल मौसम विज्ञानी और सतही एवं भूजल संबंधित आंकड़ों को यथाशीघ्र जल उपभोक्ता समूहों तथा जिला एवं ब्लाक स्तर के मध्यवर्ती स्तरों तक पहुंचाने हेतु एक आधार संहिता का विकास किया जाये।

4.2 सूचना प्रबंधन तंत्र

4.2.1 एक अन्तर विभागीय सूचना प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाये। जल संबंधित सूचनाओं को जल उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार संकलन, परिष्कृत एवं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाये।

4.2.2 इस उपयोग सुलभ और सुरक्षित सूचना प्रबंधन तंत्र को राज्य जल संसाधन योजना विभाग में स्थापित किया जाये। राज्य जल संसाधन योजना विभाग डेटा की जांच एवं ऐन्ट्री, संकलन, बैकअप, डेटाबेस संचालन में पारदर्शिता एवं जरूरत पड़ने पर तुरन्त उपलब्ध कराये।

4.2.3 इस डेटाबेस में हाइड्रो-माटीरियोलोजिक, जल विज्ञान, भूजल गुणवत्ता आदि से संबंधित सूचनाओं के अतिरिक्त जल संसाधन से संबंधित जल उपभोक्ता समूहों, जनसंख्या एवं सामाजिक आंकड़ों के अभिलेख भी शामिल किए जाये।

4.2.4 आंकड़ों के संकलन की निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी और सभी पुराने अभिलेख डेटाबेस में शामिल किए जायेंगे।

4.2.5 भूजल, बाढ क्षेत्र, पर्यावरण जोन आदि के मानत्रित तैयार किय जायेंगे।

4.2.6 आमजन को सुलभ एक संदर्भ जल पुस्तकालय बनाया जाये। जिसमें पूर्वकालिक एवं अब तक की सभी जल क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट एकत्रित होंगी। इन सभी स्त्रोतों की कम्प्यूटरीकृत सूची सार्वजनिक या निजी सुलभता के लिए तैयार की जाये।

4.2.7 पानी के वाष्पीकरण को मापने एवं जल संचयन संरचनाओं में इसे कम करने की संभावित पद्धतियों के लिए अनुसंधान किया जायेगा। यथासंभव इन पद्धतियों के मूल्याकंन अध्ययन किए जायें।

4.3 संरचनाओं की क्षमता एवं सुरक्षा

4.3.1 बांध सुरक्षा कमेटी को प्रभावी एवं उचित आकार का बनाया जाये। यह कमेटी निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमेटी को निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना एवं विनियम के अधिकार हों।

4.3.2 दैनिक आवक, उत्प्रवाह, वर्षा अभिलेख, संचयन स्तर एवं अन्य प्रचलनीय दस्तावेज सभी प्रमुख बांधों पर रखे जायें। वाष्पीकरण का भी सभी बडें बांधों पर प्रेक्षण किया जायें।

4.3.3 जो समुदाय प्रमुख बांधों के तलहटी में बसे हैं, उन्हें बाढ/बांध टूटने की चेतावनी एवं आपातकालीन निष्क्रमण तरीकों की जानकारी देना होगा। आपातकालीन बंदोबस्तों को जिला प्रशासन द्वारा उचित समय-बाध्यता एवं विभागों की प्रतिक्रिया के लिए दो वर्ष में एक बार जांचा परखा जायेगा। इन आपात स्थितियों के लिए सामाजिक तैयारी का भी आंकलन किया जाएगा और इनमें सुधार भी किया जायेगा।

4.4 जल निकास एवं लवण

4.4.1 शुरूआती लवणीय क्षेत्र एवं वर्तमान लवणीय क्षेत्रों, बहुत कम जल निकास क्षमता वाले क्षेत्रो के मानचित्र तैयार किए जाएगें। समुद्री जल को उपयोगी जल बनाने की सरल-सहज तकनीक खोजी जायें।

4.5 शहरी जल आपूर्ति एवं दूषित जल निकास

4.5.1 सभी शहरों क्षेत्रों के लिए मूलभूत जल एवं स्वच्छता सेवाओं की योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी। प्रभावी जल दरें अपनाई जायेंगी जो कि संचालन एवं रख-रखाव की लागत को समाहित करेंगी। इससे जल उपयोग पर भी नियंत्रण किया जायेगा।

4.5.2 ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे जिनसे शहरी क्षेत्र में दूषित जल के निकास एवं प्रशोधन हेतु सीवरेज प्रशोधन संयंत्र एस.टी.पी. के निर्माण की आवश्यकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जन-मानस में जागरूकता पैदा होवें। जल शोधन मापक अभी तक विदेशी बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी. पर ही आधारित है। हमें जल शोधन के भारतीय मापक बनाने की पहल इस जल नीति द्वारा करानी होगी। भारतीय जलशोधन विधि अपनाने पर बल दिया जाये। जल शोधन में भारतीय ज्ञान तंत्र को उपयोग करने पर बल दिया जाये।

जल संरक्षण

5.1 सामान्य जल संरक्षण

5.1.1 जल बचत तकनीकों के व्यावहारिक प्रयोग एवं जागरूकता को बढ़ाया जाये। जल उपभोग को और बेहतर बनाने के लिए मल्टी मीडिया से जागरूकता, स्कूली शिक्षा एवं तकनीकी सहायता द्वारा सभी वर्गों को एक निरंतर कार्यक्रम द्वारा प्रेरित किया जाये। जल संरक्षण के सामुदायिक विधि तरीके सिखाये जायें। परम्परागत जल प्रबंधन को बढ़ावा दें।

5.1.2 प्रत्येक प्रकार के अपशिष्ट प्राथमिक एवं द्वितीय प्रशोधित सीवेज जल, घरेलू उपयोग में लिया हुआ जल एवं पुनःचक्रित औद्योगिक जल आदि के उपयोग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाये।

5.2 शहरी जल संरक्षण

5.2.1 जल रिसाव एवं जल वितरण में अनाधिकृत जल शोषण को रोकने के लिए एक आवर्ती प्रोग्राम हाथ में लिया जायेगा। जल वितरण से संबंधित सभी प्राधिकारों को बेहिसाब जल को 20 प्रतिशत से भी कम करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाये, ताकि सभी जल मीटर सही कार्य कर रहे हैं।

5.2.2 जल हानि को रोकने हेतु कार्यक्रम चलाया जाये। जल संरक्षकों को सम्मान तथा जलशोषण करने वालो को दंड का प्रावधान होना चाहिए।

5.3 नगरपालिका एवं औद्योगिक जल संरक्षण

5.3.1 सीवेज निकास के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं उचित प्रशोधन के पश्चात इसे नगरपालिका उपयोगों जैसे औद्योगिक शीतल यंत्रों में, जंगलों, बागवानी, लाभदायक सतही उपयोग एवं भूजल पुनर्भरण हेतु उपयोग में लिया जायेगा। अधिक जल उपयोग करने वाले उद्योगों को जहां तक हो सके जल को पुनःचक्रित कर उपयोग में लाने हेतु बाध्य किया जायेगा।

5.3.2 खनन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भूजल का खनन के दौरान दोहन किया गया है वह रसायनिक प्रदूषण को दूर करने के पश्चात किसी लाभदायक कार्य के लिए उपयोग किया जाए।

5.3.3 सभी बड़ें एवं छोटे उद्योगों के जल मापन हेतु एक आवर्ती कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सभी बड़े एवं लघु उद्यागों के औद्योगिक जल उपयोग का एक रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। इस जल अंकेक्षण में मात्रात्मक जल उपभोग, जल पुनःचक्रण एवं संरक्षण की क्षमता एवं संभावित प्रदूषण की मात्रा की जानकारी होगी।

5.4 ग्रामीण एवं कृषि जल संरक्षण

5.4.1 सिंचाई दक्षता में सुधार हेतु कार्यक्रम विकसित किया जाएगा एवं क्रियान्वित किया जाएगा।

5.4.2 सिंचाई में जल हानि को कम करने के लिए आवर्ती प्रोग्राम चलाया जायेगा।

5.4.3 खेतों को पानी से भर कर सिंचाई के विकल्प के स्थान पर दाब सिंचाई तंत्र जैसे बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

5.4.4 सिंचाई पश्चात बचे जल के पुनः प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

5.4.5 जलोत्थान द्वारा सिंचाई करने पर मीटर लगाना आवश्यक किया जायेगा।

5.4.6 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को हर एक बेसिन पर लागू किया जायेगा।

5.5 भू-जल

5.5.1 भूजल दोहन नियंत्रण हेतु उपाय किए जायें। नए कुओं/बोरहोल्स या पुराने कुओं/बोरहोल्स की गहराई बढ़ाने की इजाजत तभी दी जाये, जब की जल उपभोक्ता समूहों द्वारा भूजल प्रबंधन के दूरगामी एवं प्रभावी उपाय लागू किए गए हों।

5.5.2 सभी खुदाई यंत्रों को जल स्तर की दीर्घकालीन स्थिरता को देखते हुए ही लाइसेंस दिये जायें। सम्भव होंवे तो जल शोषण करने वाले यंत्रों पर रोक लगायें। जहां जल अधिक होवें वहां लाइसेंस देवें।

5.5.3 सभी खुदाई यंत्रों के माध्यम से भूजल से संबंधित तथ्य एकत्रित करके जल क्षेत्र आंकड़ा आधार में जोडे जायें। जल स्तर में कमी का भी विश्लेषण किया जाये एवं एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाये। यह रिपोर्ट सभी को सहज उपलब्ध होवें ऐसी व्यवस्था बनायें।

5.5.4 चयनित क्षेत्रों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन द्वारा भूजल ह्रास, जल संरक्षण एवं जल को लम्बे समय के लिए टिकाऊ बनाने हेतु विषयों को प्राथमिकता दी जायें।

जल गुणवत्ता

6.1 जल गुणवत्ता एवं प्रदूषण

6.1.1 विभाग की विश्लेषण क्षमता, मॉनीटरिंग एवं जल मानकों के अनुरूप होने की समीक्षा की जायें। सामुदायिक मॉनीटरिंग हेतु समाज को तैयार करना। सामुदायिक मॉनीटरिंग को

प्रोत्साहित किया जाये। समुदायों को जल मॉनीटरिंग व नदी मॉनीटरिंग करना सिखायें।

6.1.2 जिला स्तर पर जल की मूल गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जाये। जिला स्तर पर एक आवर्ती प्रोग्राम विकसित किया जाये। जो जिला स्तर पर जल विश्लेषण की क्षमता में सुधार करें। सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से जल के नमूनों और विश्लेषण की प्रभावी लागत की समीक्षा की जाये। जल और मानव सेहत संबंध समझाया जाये।

6.1.3 जन स्वास्थ्य पर खतरों को देखते हुए प्राथमिकता पर बेहतर घरेलू जल गुणवत्ता हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम चलाया जाये। जल-जन स्वास्थ्य सुधरे ऐसे सभी काम किये जाये।

6.1.4 स्थानीय पेयजल में फ्लोराइड अधिकता वाले क्षेत्रों की प्रगति समीक्षा की जाये और जरूरत पड़ने पर उपचारात्मक उपाय भी किए जायें। इस कार्य में समुदाय की समझ बढ़ायें। समुदाय की समझ का उपयोग किया जाये।

6.1.5 सभी प्रदूषण स्रोत बिन्दुओं की एक आवर्ती सूची बनाई जाये।

6.1.6 उद्योग निष्कासित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में छोडा ही नहीं जाए और न तो भूजल पुनर्भरण के उपयोग में ही लिया जाए। समस्त स्रावों का भारतीय मानकों के अनुसार उपचार किया जायें। उपचार के बाद खेती-बागवानी और उद्योगों में ही काम लेंवे। उद्योगों एवं नगरों का शोधित जल किसी कीमत पर भी प्राकृतिक जलस्रोतों नदी में नहीं मिलायें।

6.1.7 नए पुराने प्रदूषणकारी उद्योग एवं पुनर्स्थापित हो चुके उद्योगों को चिन्हित किया जाये। किसी भी गंदे एंव संक्रमित जल के भूजल या सतही नालियों में छोडने पर रोक रहेगी।

6.1.8 जल प्रदूषण फैलाने की आशंका वाले औद्योगिक ठोस पदार्थों का निपटारा विशेष सुविधाओं द्वारा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के आधार पर किया जायेगा। बहुत से प्रदूषित उद्योग ऐसा दूषित जल छोड़ते हैं। जिसका उपचार संभव नहीं है। ऐसे दूषित उद्योगों को सदैव हेतु बंद कर दिया जाये।

6.2 गंदा पानी

6.2.1 बिना प्रशोधित सीवेज के गंदे जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं छोड़ा जायेगा और न ही भूजल पुनर्भरण के उपयोग में लिया जायेगा। वर्षा जल व गंदा जल अलग-अलग ही रखने की बाध्यता बनायें।

6.2.2 समस्त शहरी एवं उच्च प्राथमिकता वाले ग्रामीण ईलाकों में सीवेज प्रशोधन संयंत्र एस. टी.पी. के आकल्पन एवं निर्माण का एक प्रोग्राम लागू किया जाये। प्रशोधित निष्कासित जल के निपटारे में पूर्णकालिक स्वास्थ्य मानकों की पालना की जाये। अपशिष्ट जल का प्रशोधन लाभकारी पुर्नउपयोग आवश्यकता के अनुसार तय किया जाये।

पर्यावरण प्रबंधन

7.1.1 सीमांत एवं पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम की प्रवृत्तियों का दीर्घाकालीन प्रभावों का अध्ययन किया जाये। इस अध्ययन को एकीकृत जल प्रबंधन योजनाओं की प्लानिंग के लिए काम में लिया जाये।

7.1.2 बृहद एंव मध्यम जल संसाधन परियोजनाओं से पर्यावरण पर प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन किया जाये। उच्च प्राथमिकता अधिक अनुवांशिक विविधता वाले पर्यावरण तंत्रों की एक सूची तैयार करके उसमें मानव प्रभावों को आंका जाये।

7.1.3 झीलों एवं आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाये, जिससे पर्यावरण प्राकृतिक अनुवांशिक निरन्तरता को बनाए रखने का प्रयास किया जाये। नए आर्द्र भूमि के निर्माण पर विचार

किया जाये।

7.1.4 बृहद एंव मध्यम जलाशय परियोजनाओं का अनुप्रवाह की ओर रहने वाले उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को योजना स्तर पर पहली प्राथमिकता दी जाये।

7.1.5 नदियों का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित कराने हेतु भारत की सभी नदियों का पर्यावरणीय प्रवाह सिद्धांत बनाये जायें। इनकी पालना कराने वाली अच्छी व्यवस्था बने। नदियां नाले में नहीं बदलें। नदियां हमारी नदी ही बनी रहें। आज मानसिकता बदल रही है, आधुनिक विकसित समाज बाजार से पानी खरीदकर अपना जीवन चलाता है।

7.2 सूखा प्रबंधन

7.2.1 जल संसाधन प्रबंधन में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जल मांग को प्राथमिकता दी जायेगी। सामुदायिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की मदद से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रति बहुआयामी तरीकों को प्रोत्साहित किया जाये।

7.2.2 नई जल संसाधन विकास योजनाओं के लिए संभाव्यता संबंधी अध्ययन किए जाये एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जाये।

7.2.3 वर्षा जल सहेजकर अनुशासित उपयोग करने से सूखा मुक्त होकर नदी पुनर्जीवित किया जाये। जैसे तरुण भारत संघ ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में नदी पुनर्जीवित की है।

7.3 बाढ़ नियंत्रण एवं जल संग्रहण

7.3.1 अधिक बहाव वाली नदियों पर क्रियाशील बाढ़ पूर्वानुमान तंत्र स्थापित किया जाये।

7.3.2 बाढ़ से खतरों के अनुमान हेतु संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जायेगा। हर बाढ़ संभावित बेसिन/क्षेत्र के लिए आपातकालीन बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन योजना तैयार की जाये।

7.3.3 बाढ़ बचाव हेतु पहाड़ों में घने जंगल रूपी नैसर्गिक बंधों में पानी रोककर चलाना सिखायें। पानी को मैदान में इक्ट्ठा होने से पहले ही भूजल भंडारों तथा अधोभूजल भंडारों को भरने से बाढ़ कम होती है। जल का समान वितरण होता है। समान जल वितरण से बाढ़ नियंत्रित रहती है।

जल शुल्क

8.1.1 जल दरें इस प्रकार निर्धारित की जाये, जिससे जल की कमी का एहसास हो तथा उपभोक्ता को जल के उपयोग में सावधानी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जल शुल्क, पूर्ण संचालन खर्चो की वसूली आदि को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाये। इसके अनुरूप ही संचालन की दक्षता और रख-रखाव में क्षमता विकास किया जाये।

8.1.2 सभी गैर कृषि जल वितरण के लिए तीन या चार स्तरीय जल शुल्क होगा जिसमें सर्वाधिक जल प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा शुल्क वसूला जाये। इस स्तरीय जल शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जाये कि निम्न एवं अधिकतम जल दरों में परिमाण का भेद हो। जल शुल्क के पहले स्तर पर जल सस्ता होगा और सभी जल उपभोक्ताओं के लिए समान होगा।

8.1.3 औद्योगिक, व्यावसायिक एवं नगरपालिकाओं के जल उपयोग पर विभिन्न स्तरीय जल दरें लागू की जा सकती हैं। सभी मामलों में जल दर द्वारा अनावश्यक जल उपयोग को हतोत्साहित किया जाये।

8.1.4 वर्तमान अनुदानित कृषि जल और राज्य द्वारा अनुदानित सिंचाई के स्थान पर पूर्ण संचालन एवं रख-रखाव शुल्क वसूली और उपभोक्ताओं द्वारा नए आधारभूत ढांचा

निर्माण में सहायता की ओर उत्तरोत्तर बदलाव होंवे।

8.1.5 जल प्रबंधन कार्य हेतु जल उपभोग मापन कार्यक्रम को सभी महत्वपूर्ण जल स्रोत अथवा जल स्वामित्व वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया जाये।

विधिक आधार

9.1.1 जल क्षेत्र कानून की आलोचनात्मक समीक्षा की जाये। अप्रचलित कानूनों को हटाया जाये या अधिक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं प्रभावी सरकारी क्रियाओं के लिए जरूरी विधि के रूप में संशोधित किया जाये। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले एवं अधिकार, उत्तरदायित्व, शक्तियां, संसाधन एवं जल क्षेत्र के सभी हित भागियों के कार्य संचालन को दृढ़ता से लागू करने वाले विधान लाए जायें।

9.1.2 स्थानीय जल उपभोक्ताओं के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का कानून में निर्धारण किया जायेगा। जिससे वे अपने जल संसाधनों का खुद प्रबंधन कर सकें। इन विधायी प्रावधानों में किसानों, गरीबों एवं महिलाओं के जल उपभोक्ता समूहों में प्रतिनिधित्व एवं मुख्य भूमिका का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

9.1.3 अति-शोधित एवं क्षीर्ण भूजल वाले क्षेत्रों में भूजल दोहन के नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु कानून पारित किए जायेंगे।

9.1.4 एक समय अवधि के बाद भी एवं इन उपायों के बावजूद भी अत्याधिक भूजल दोहना होता रहे तो ऐसी परिस्थिति में स्थानीय भूजल स्वामित्व को वापस लेकर विधान बनाए जायेंगे एवं भूजल दोहन दर को रोका जाएगा। भूजल उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधिक आज्ञा स्पष्ट हो एवं लागू की जायेगी।

9.1.5 जल क्षेत्र में विवादों को हल करने हेतु विधिक संरचना का विकास किया जायेगा। यह समुदाय के स्तर पर समाधानों से शुरू होगी एवं इसमें सरकार में उच्च स्तर पर अपील की जा सकेगी।

9.1.6 ऐसे विधान बनाए जायेंगे जिससे अधिक मात्रा में सीधे या स्थानीय भूजल उपभोग करने वालों को जल संरक्षण के क्षतिपूरक उपाय लागू करने के लिए बाध्य किया जा सके। जल संरक्षण के इन उपायों की व्यापकता पूरे जल उपयोग को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी। जल संरक्षण में सहायक दिशा निर्देश तैयार किए जायेंगे। जल संरक्षण संबंधी मुख्य आवश्यकताओं की लगातार एवं अनुचित अनदेखी होने पर भूजल उपलब्धता को बंद करने के लिए कानूनी आधार बनाया जाएगा या फिर वितरित जल पर उच्च दरें लागू की जायेंगी।

9.1.7 मौजूदा नदी जल इकाइयों को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से बचाने के लिए जल का कानूनी आधार बनाया जाएगा। बहुत अधिक प्रदूषण की दशा में स्थानीय जल उपभोक्ता समूहों को यह जिम्मेदारी दी जायेगी कि वे संबंधित विभाग से तकनीकी एंव अन्य सामग्री सहायता द्वारा प्रदूषण को खत्म करने की युक्ति करें।

9.1.8 सभी स्तरों पर मात्रात्मक जल संसाधन प्रबंधन को सुचारू करने के लिए जल उपभोक्ता समूह से लेकर जल संसाधन विभाग तक कुओं एवं बोरहोल्स की मीटरिंग, कूपों, जल-टैंकरों द्वारा वितरण, सिंचाई जल का वितरण एवं प्रमुख खंडों में नदी बहाव के जल मापन अथवा मीटरिंग के लिए एक आवर्ती कार्यक्रम शुरू करें। इसके लिए विधिसम्मत आदेश पत्र तैयार किया जाये, जो कि सम्पूर्ण जल का मापन सुनिश्चित करें।

9.1.9 भूजल और जमीन का मालिकाना हक अलग-अलग किये जायें। जमीन का मालिक भूजल का मालिक नहीं हो सकता। जल पर सबको जीने हेतु समान हक दिया जाये।

विधिक काम

9.2.1 इस नदी नीति के प्रकाश में नदियों में पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने वाला कानून बने। इस कानून में सबको नदी और मानव को समान रूप से नदी जल हक प्रदान कराने वाली व्यवस्था की जाये।

9.2.2 नदी-नालों को अलग-अलग करने वाली कानूनी व्यवस्था होवे। प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध कठिन सजा की व्यवस्था की जाये।

9.2.3 नदी संगठन निर्माण में पंचायत और नगर पालिकाओं में नदी सांसदों की स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था की जाये। प्रत्येक पंचायत में दो तथा नगरपालिकाओं में 4 से 10 तक नदी संसद चुने जा सकते हैं। जो नदी संसद के ही सदस्य होंगे। यह व्यवस्था नदी से जुड़ी जनसंख्या तथा नदी भू-भाग को ध्यान में रखकर करनी होगी।

9.2.4 नदी अतिक्रमण रोकने हेतु नदी क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण निर्मित होवे जो नदी प्रवाह, बाढ़, उच्चबाढ़, क्षेत्रों का सीमांकन कराके अतिक्रमण हटवायें।

9.2.5 भूजल शोषण रोकने वाला कानून प्रत्येक राज्य में नदियों के सूखने को ध्यान में रखकर बनाये जाये। नदियों में प्रवाह बराबर रखने हेतु अधोभूजल और भूजल शोषण रोकने वाला अच्छा सख्त कानून बने।

9.2.6 भूजल पुनर्भरण, प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण उद्योग-खेती उपयोग करने वाली कानूनी व्यवस्था बने। वर्षा जल, भूजल, ग्लेशियर-हिमजल नदी का पर्यावरणीय प्रवाह बनाकर नदी की अविरलता-निर्मलता कायम रखने वाला कानून बनना चाहिए।

9.2.7 नदी विवादों के समाधान करने वाली कानूनी व्यवस्था शीघ्र निर्मित होवे।

क्षमता विकास

10.1.1 सामुदायिक, मध्यस्तर राज्य सरकार, भारत सरकार स्तर पर संस्थानिक क्षमता का विकास किया जाये। इस क्षमता विकास में सभी स्तरों पर पुनः दिशा-निर्देशन द्वारा राष्ट्र और राज्य आधारित प्रचलित अभियांत्रिकी जल संचालन प्रबंधन के स्थान पर पूर्ण सामुदायिक सहभागिता संबंधी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

10.1.2 सामुदायिक क्षमता विकास में संरचनात्मक अधिकार एवं उत्तरदायित्वों आदि में जल उपभोक्ता समूहों एवं जल क्षेत्र के अन्य समुदाय आधारित हितभागियों का प्रशिक्षण शामिल होगा।

10.1.3 सरकारी शासन स्तर पर क्षमता विकास की दिशा होगी। (अ) अपने कौशल को और अधिक बढाना (ब) बेहतर तकनीकी सहायता (स) डाटा प्रोसेसिंग, बेसिन जल संसाधन प्रबंधन हेतु योजना पर अधिक बल (द) कार्य की स्वायत्ता (ए) प्रतिक्रियात्मक प्रशासन के स्थान पर अग्रसक्रिय हो प्रश्नात्मक परीक्षण एवं जल संसाधन समीक्षा का दृष्टिकोण विकसित करें।

10.1.4 योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली पारम्परिक भूमिका को छोड़ नदी जल उपभोक्ता समूहों एवं जल क्षेत्र के अन्य समुदाय आधारित उपभोक्ताओं को समय रहते दक्ष तकनीकी एवं भौतिक सहायता प्रदान करना प्रमुख कार्य होगा। सरकारी एजेन्सियों एवं जल उपभोक्ता समूहों के बीच विशेषकर तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बेहतर संचार के लिए प्रभावी साधन विकसित किए जायें।

10.1.5 कुछ सिद्धांत जैसे सामुदायिक जल प्रबंधन की जरूरत, नदी जल संरक्षण, जल प्रबंधन, अनुकूलतम जल उपभोग आदि को स्कूल एवं प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।

10.1.6 नदी जल की कमी के बारे में जागरूकता के पश्चात सामुदायिक जल प्रबंधन की व्यावहारिकता, बेहतर जल उपभोग में दक्षता, बेहतर जल संरक्षण के उपाय, जल संबंधित जन स्वास्थ्य एवं बेहतर जल निकास स्वच्छता आदि में जन शिक्षा शुरू की जाये। समुदाय स्तर पर क्षमता विकास का केन्द्र जल संरक्षण प्रबंधन हेतु मानव संरचना की जरूरत एवं राजकीय उपक्रम से सूचना एवं संसाधन प्राप्त करने की स्थानीय स्तर पर क्षमता वृद्धि आदि प्रमुख होंगे।

10.1.7 राष्ट्र एवं राज्य सभी नदी और जल क्षेत्र की विधाओं में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित एवं समर्थन देवें। जिसमें एकीकृत जल विकास, जल वितरण, सामाजिक ढांचा, जन स्वास्थ्य, रासायनिक एवं माइक्रोबायोलॉजिकल जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सूखा क्षेत्र एवं खारे जल से कृषि को बढ़ावा होता है।

10.1.8 उचित, पर्याप्त, उपयुक्त एवं सटीक और निरंतर मौसम नदी जल विज्ञानी भूजल, जल उपभोग एवं जल गुणवत्ता आंकड़ां संग्रहण की विभिन्न राजकीय विभागों की क्षमता की समीक्षा की जायेगी। पूर्व में एकत्रित आंकड़ों की सटीकता, पूर्णता, विश्वसनीयता एवं व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित गलतियों आदि के लिए जांच की जायेगी एवं जहां तक हो सकेगा इन कमियों को दूर करने एवं सीमित करने हेतु क्रमसंगत पद्धितयां लागू की जायें।

10.1.9 मानवीय एवं पंजीकृत आंकड़ां संकलन, भौगोलिक सूचना तंत्र डेटाबेस, वेबसाइट, भौगोलिक सूचना तंत्र उपयोजन, कम्प्यूटर मॉडलिंग (भूजल, सतही जल एवं बेसिन हाइड्रोलॉजी) भूजल पुनर्भरण, जल संसाधनों के आंकलन एवं परिवर्तन और बेहतर सिंचाई क्षमता प्राप्त करना आदि क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता विकास किया जाये।

10.2 अनुसंधान

10.2.1 भारत के अति महत्वपूर्ण नदी संबंधित विषयों पर केन्द्रित जल संसाधन अनुसंधान को शैक्षणिक एवं अन्य सरकारी संस्थानों में प्रोत्साहित किया जाये, एवं इन दोनों इकाईयों में सहभागिता की भावना का विकास किया जाये। अनुसंधान में आंतरिक एवं बाह्य विशेषतः अन्तर्राज्जीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थानों से सहयोग की संभावनाओं की खोज की जाये।

लखनऊ घोषणापत्र के मुख्य बिन्दु

- भारत के समाज द्वारा सदियों से हमारी नदियों को पूर्णतः नैसर्गिक जीवंत एवं पोषक प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक नदी प्रणाली को एक ह्यप्राकृतिक व्यक्तिह्ल का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।
- प्रदेश में नदी भूमि क्षेत्र को नदी संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किया जाए। उद्गम/प्रदेश में प्रवेश बिन्दु से लेकर नदी के अन्तिम छोर तक नदी क्षेत्र अधिसूचित किया जाए।
- नदी में किसी भी तरह का शोधित व गैर-शोधित अवजल व ठोस अपशिष्ट न डाला जाए।
- नदियों के प्रवाह की आजादी सुनिश्चित करने हेतु नदी की जमीन नदी की ही रहनी चाहिए।
- नदी नीति के क्रियांन्वयन हेतु राज और समाज को आगे रखते हुए ऐसी समन्वित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट परिभाषित हों।
- नदी का जल और भूजल एक दूसरे के पूरक होते हैं इसीलिए भूजल को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय समाज के साथ बोरिंग की गहराई सुनिश्चित होनी चाहिए।
- नदी पर बांध और तटबंध पर प्रतिबंधित होना चाहिए।
- नदियों की भू-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भू-आकृतिकी से छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए।
- चूंकि नदी प्रबंधन में समाज जिम्मेदार भूमिका भी अपेक्षित है अतः नदी से संबंधित सभी आंकड़े, योजनाओं तथा परियोजनाओं से संबंधित सूचना समुचित माध्यमों के जरिए संबंधित जन को उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।
- नदी प्रबंधन करते समय परंपरागत भारतीय ज्ञान तंत्र तथा स्थानीय कौशल व तकनीक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- नदियों को इको पर्यटन, स्थाई सामाजिक विकास व प्राकृतिक अर्थ के साथ भी विकसित किया जाना चाहिए।
- बाढ को नहीं बाढ के विनास को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
- नदी नीति के क्रियांन्वयन हेतु राज और समाज को सामने रखते हुए समन्वित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसमें राज और समाज की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। नदी और समाज के बीच सतत एवं मजबूत आपसी सम्पर्क व संवाद को स्थापित किया जाना चाहिए।
- नदी की जैव-विविधता को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि उपयोगिता को।
- प्रत्येक नदी का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश नदी प्रारूप समिति

संरक्षक
परम पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी
अध्यक्ष
परमार्थ निकेतन

अध्यक्ष
आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी
केबिनेट मंत्री
जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम	नाम	पद	संगठन	सम्पर्क	इमेल
1	श्री मनु गौड़	संस्थापक	टैक्स एब	9756016000	manugaurdpr@gmail.com
2.	नदीपुत्र रमन कान्त	संस्थापक	नीर फाउंडेशन	9411676951	raman4neer@gmail.com
3	डॉ0 वेंकटेश दत्ता	प्रोफेसर	बाबा भीमराव अम्बेड़कर केन्द्रीय विश्वविधालय, लखनऊ	918466778	dvenks@gmail.com
4	डॉ0 विनोद तारे	प्रोफेसर	आई0 आई0 टी0 कानपुर	9415130517	vinod@iitk.co.in tare.iitk@gmail.com
5	श्री फारूख रहमान खान	राज्य कार्यक्रम निदेशक	वाटरएड	9935387786	imrankhan@wateraid.org
6	श्री कृष्णवीर चैधरी	अध्यक्ष	भारतीय कृषक समाज	7838977677	krishak1951@gmail.com
7	पदमश्री श्री भारत भूषण	पदमश्री	प्रगतिशील किसान	8755449866	Cvstorganic1977@gmail.com
8	प्रोफेसर पी0 के0 सिंह	प्रोफेसर	बनारस हिन्दु विवि	9958189771	psingh.civ@itbhu.ac.in
9	श्रीमति लीनिका जैकब	संस्थापक	द कला चैपाल	9999880758	leenika@kalacaupal.org
10	श्री कृपाल दत्त जोशी	विशेषज्ञ	जलीय जीव विज्ञान	9450600926	kdjoshi.search@gmail.com
11	श्री चार्ल्स इब्राहिम	विशेषज्ञ	आनन्द प्रकाश आश्रम	9731700220	Ibrahim.chaz@gmail.com
12	श्री एस. वी. एस. सुरेश बाबू	निदेशक	डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इण्डिया	9818997999	suresh@wwfindia.net
13	सुश्री नन्दिनी वशिष्ठ त्रिपाठी	समन्वयक	गंगा एकशन परिवार	7302042240	ganga@parmarth.com
14	श्री स्वाहिक सिद्दीकी	अधिवक्ता	माननीय उच्चतम न्यायालय	9718647753	shawahiq.ielo@gmail.com
15	श्री गोपाल कृष्णा	विशेषज्ञ	नीति विशलेषण	9818089660	krishnagreen@gmail.com
16	श्री कार्तिक सप्रे	मुख्य कार्यकारी	नम्रदा समग्र न्यास	9406904555	narmadasamagra@gmail.com

विशेष योगदान: परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती, टैक्सएब भारत के संस्थापक व नीति विशेषज्ञ श्री मुन गौड़, बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविधालय से डा0 वैंकटेश दत्ता, बनारस हिन्दु विश्वविधालय से डा0 पी0 के0 सिंह, वाटर एड के राज्य कार्यक्रम निदेशक श्री फारूख रहमान खान, नीति विशलेषक श्री गोपाल कृष्णा, ग्रीन यात्रा मुम्बई से अधिवक्ता दुर्गेश गुप्ता, नम्रदा समग्र के कार्यकारी अधिकारी श्री कार्तिक सप्रे, कला चैपाल की सुश्री लीनिका जैकब, गंगा एक्शन परिवार की समन्वयक सुश्री नंदिनी, आनन्द आश्रम से श्री चैज इब्राहिम, भारतीय कृषक समाज के संस्थापक श्री कृष्णबीर चैधरी, पदमश्री भारत भूषण त्यागी, पदमश्री कंवल सिंह चैहान, बायोलॉजी विशेषज्ञ श्री के0 डी0 जोशी, आई0आई0टी0 कानुपर से डा0 विनोद तारे, डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0 के निदेशक श्री सुरेश बाबू, पदमश्री श्री लक्ष्मण सिंह, माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री स्वाहिक सिद्दीकी, लोक भारती के संगठन मंत्री श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, लोकभारती से श्रीकान्त चैधरी, बांदा से श्री रामबाबू तिवारी, पदमश्री श्री उमाशंकर पाण्डेय तथा नदियों से संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी व नीति विशेषज्ञ श्री नवीन कुमार।

सहयोगी संगठन :

परमार्थ निकेतन, गंगा एक्शन परिवार, आई, आई, टी कानपुर, लोक भारती
ग्रीन यात्रा, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, कला चैपाल, बाबा भीमराव अम्बेड़कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, भारतीय कृषक समाज, नर्मदा समग्र

भारतीय नदी परिषद

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः।
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः
परोपकाराय सतां विभूतयः॥

जैसे नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती है। पेड फल खुद नहीं खाते हैं। बादल अपने जल द्वारा पोषित फसल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए होती है।

वसुधेव कुटुम्भकम्भ की अवधारणा भारत के मूल में निहित है। भारत समस्त ब्रहमाण्ड में जो भी वसुधा अर्थात समस्त प्राणी जगत है को एक परिवार मानता है। परिवार में सब निरोगी व कष्टविहीन रहें ऐसी कामना भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए पंच महाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश एवं वायु का संरक्षण अति-आवश्यक है। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। प्रकृति ने नदियों को किसी सीमा या बंधन में नहीं रखा है लेकिन पृथ्वी पर मानव सभ्यता ने इनको अपनी सुविधानुसार चिन्हित कर लिया है। भारत में कुछ नदियां चीन व नेपाल जैसे दूसरे देशों से भी आती हैं और भारत से नदियां बांग्लादेश व पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों में भी जाती हैं। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो चीन से आकर भारत से होकर बाग्लादेश में चली जाती हैं, लेकिन भारत की अधिकतर नदियां भारत भूमि से ही प्रारम्भ होती हैं और भारत भूमि मे ही किसी अन्य नदी में विलीन हो जाती हैं।

भारत की नदियों को हम मुख्यरूप से चार भागों में विभाजित करके देखते हैं, इसमें सिन्धु नदी तंत्र, ब्रहमपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीप नदी तंत्र। भारत के बाहर से आने वाली नदियां हों या फिर भारत से बहकर जाने वाली नदियां हों, उन सभी का जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर मिल जाता है। भारत की नदियां अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले भारत भूमि को सोंचती हैं तथा भारतीय सभ्यता का पालन-पोषण करने में मदद करती हैं।

भारत की नदियों को हम शरीर की नाड़ियों के रूप में भी देख सकते हैं। कुछ बड़ी नाड़ियां हैं तो कुछ छोटी नाड़ियां। इन सभी मं रक्त बहता है जोकि हमारे शरीर को संचालित करता है। इसी प्रकार भारत की नदियां भारत भूमि व उसके निवासियों को संचालित करती हैं। अगर शरीर की नाड़ियों का जल विशुद्ध हो जाएगा तो शरीर में विकृतियां पैदा होने लगेंगी और अंत में शरीर पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर भारत की नदियों में बहने वाला जल दूषित हो जाएगा तो निश्चित ही भारत भूमि व उस पर निवास करने वाले सभी प्राणी जगत व समस्य वसुधा को उसका दंश झेलना पड़ेगा।

नदियों का निर्मल व अविरल होना समृद्ध जैव-विविधता के लिए अति-आवश्यक है। समृद्ध जैव-विविधता में ही मानव समाज स्वस्थ जीवन को आगे बढ़ा सकता है। सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेष व कहानियां यह तय करती हैं कि भारत की समृद्धि नदियों के किनारे ही बढ़ी है। ऐसी भी पुख्ता जानकारियां उपलब्ध हैं कि जैसे-जैसे उन नदियों ने किसी भी कारण से अपना रौद्र रूप धारण किया तो वे सभ्यताएं समाप्त भी हुई हैं। प्राचीन ज्ञान परम्परा से यह समझने को अवश्य मिल रहा है कि अगर नदियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखा जाए तो नदियां जीवन प्रदान करती हैं लेकिन अगर उनके साथ छेड़-छाड़ की जाए या उनकी छमता को चुनौती दी जाएगी तो वे जीवन को समाप्त भी करने की ताकत रखती हैं। भारत में हम नदियों की महत्ता को महाभारत के वन पर्व में कहे गए इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं।

जन्मजन्मार्जितं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु।
गंगा देवी प्रसादेन सर्वं मे यास्यति क्षयम्।।

जिस–जिस देश में गंगा नदी बहती है, वही उत्तम देश है और वही तपोवन है गंगा नदी के समीप जितने भी स्थान है, उन सबको सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए।

भारत में नदियों के हालात वर्तमान समय में अच्छे नहीं हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिनमें प्रदूषण व अतिक्रमण जैसे प्राथमिक कारण सर्वविदित हैं। इन बिगड़े हालात में व्यवस्था व समाज अपने–अपने तरीके से सुधार के प्रयास में लगे हैं। यह देखने में आ रहा है कि जितनी तेजी से चीजें बिगड़ रही हैं उनके अनुपात में सुधार का क्रम धीमा है। इसके पीछे विभिन्न कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण आपसी तालमेल की कमी उभर कर सामने आता है। स्थानीय स्तर पर नदियों के सुधार हेतु किए जा रहे अच्छे प्रयास तालमेल न हो पाने के कारण नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। अच्छे प्रयासों को एक स्थान से दूसरी जगह लागू करने में भी विभिन्न प्रकार की बाधाएं दिख रही हैं। अक्सर देखने में आ रहा है कि बहुत से मामलों में व्यवस्था व समाज का भी अच्छा समन्वय नहीं बन पा रहा है।

भारत में नदी पुनर्जीवन के प्रयास कैसे सटीकता के साथ आगे बढ़ें तथा कैसे समाज और सरकार साथ मिलकर इस दैत्याकार समस्या से छुटकारा पाएं? इन सवालों के जवाब देने तथा भारत में नदी पुनर्जीवन को एक सकारात्मक आन्दोलन का रूप देने के लिए अपने विगत दो दशकों के अनुभवों तथा इस छेत्र के अनुभवी महानुभावों से सलाह–मशविरा करके भारतीय नदी परिषद् का गठन किया गया है। भारत के पुरातन ज्ञान की समझ हमें यही बताती है कि निर्मल व अविरल नदियां हमारी समृद्धी के लिए अति–आवश्यक हैं। अतः इस दिशा में उचित प्रयास समाज व व्यवस्था को करने ही चाहिएं। इस कड़ी में भारतीय नदी परिषद् का गठन समाज द्वारा व्यवस्था के सहयोग से भारत की नदियों की समृद्धि के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय नदी परिषद् भारतीय संविधान के भारतीय टरस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड है। 'भारतीय नदी परिषद्' को अंग्रेजी में **'Indian River Council'** के नाम से भी लिखा जाता है।

नदी समग्र चिन्तन

31 अगस्त, 2022

न्यू सभागार, प्रमुख अभियंता कार्यालय

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उदयगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

1st Technical Session

Rivers and Pollution

Chair
Prof. Venkatesh Dutta
BBAU

Co-Chair
Mr Farrukh R Khan
State Program Director
Water Aid

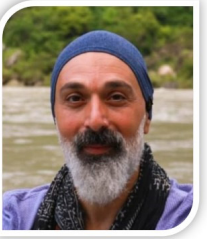

Co-Chair
Mr Chaz Ibrahim
Anand Prakash Ashram

2nd Technical Session

Rivers and Agriculture

Chair
Mr Krishan Bir Chaudhary
President
BHARTIYA KRISHAK SAMAJ

Co-Chair
Mr Kanwal Singh Chauhan
PADAMSHRI

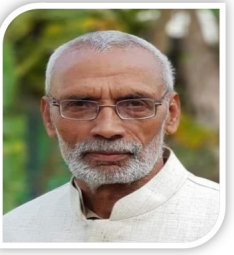

Co-Chair
Mr Bharat Bhushan Tyagi
PADAMSHRI

3rd Technical Session

Rivers and Livelihood

Chair
Prof. P K Singh
Banaras Hindu University

Co-Chair
Dr K D Joshi
Aquatic Biology Expert

Co-Chair
Ms Leenika Jacob
Founder
KALA CHAUPAL

5th Technical Session

Rivers and Laws

Chair
Dr Gopal Krishna
River Policy Expert

Co-Chair
Mr Shawahiq Siddiqui
Advocate
Supreme Court of India

Co-Chair
Ms Nandini Vashisth Tripathi
Coordinator
Ganga Action PARIVAR

4th Technical Session

Rivers and Bio-diversity

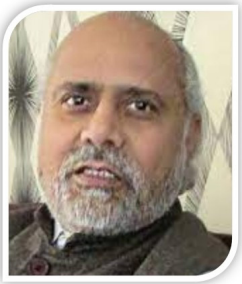

Chair
Prof. Vinod Tare
IIT Kanpur

Co-Chair
Mr SVS Suresh Babu
Director
WWF India

Co-Chair
Mr Laxman Singh
Secretary
Gram Vikas Navyuvak Mandal

6th Technical Session

Rivers and Society

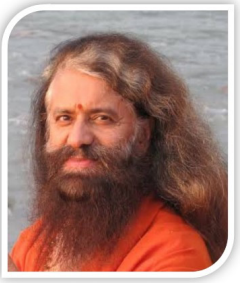

Chair
HH Swami Chidanand Ji
President
PARMARTH NIKETAN

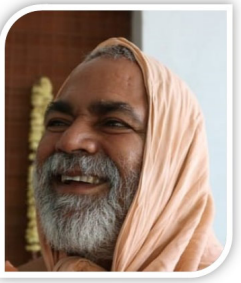

Co-Chair
HH Swami Vigyananand Ji
Poineer
SASUR KHADERI RIVER

Co-Chair
Mr Kartik Sapre
CEO
NARMADA SAMAGRA

Closing Session

Mr Swatantra Dev Singh
Cabinet Minister
Jal Shakti Ministry, GoUP

HH Swami Chidanand Ji
President
PARMARTH NIKETAM

Mr Brijendra Ji
Convenor
LOKBHARTI

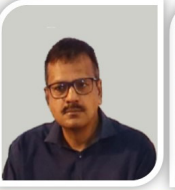

Mr Anurag Srivastava
Principal Secretary
NG & WSD, MoJS-GoUP

Mr Anil Garg
Principal Secretary
Irrigation & WR, MoJS GoUP

Mr Naveen Kumar
Coordinator
NEER Foundation

नदीपुत्र Raman Kant
Founder
NEER Foundation

PURVA FOUNDATION | WATERKEEPER ALLIANCE MEMBER | भारतीय नदी परिषद् INDIA RIVER COUNCIL | HINDON RIVER WATERKEEPER | NEER FOUNDATION

हिण्डन नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम
Hindon River Rejuvenation Program

6 CLEAN WATER AND SANITATION | 13 CLIMATE ACTION | 14 LIFE BELOW WATER | 15 LIFE ON LAND

भारतीय नदी परिषद

INDIAN RIVER COUNCIL

प्रथम तल, सम्राट शॉपिंग मॉल, गढ़ रोड, मेरठ

ईमेल : raman4neer@gmail.com | वेबसाइट : bhartiyanadiparishad.org

6 CLEAN WATER AND SANITATION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND